न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

फ.क्र.आर. II/निग./17/6216 खण्डपीठ रीवा (म0प्र0)

निगरानी प्रकरण क्रमांक ....

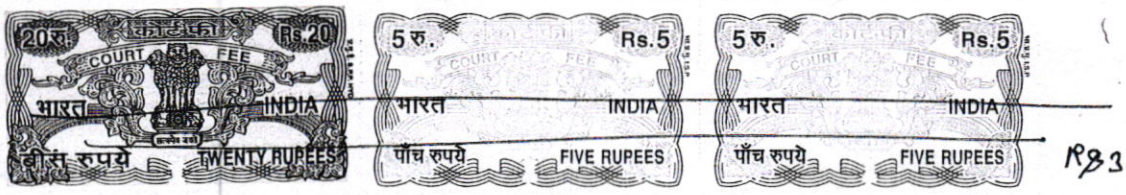

Rs 30/-

1— राजकुमार तनय स्व0 श्री यज्ञनारायण, निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर, टोला हिरौल, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

2— विजयलाल तनय स्व0 श्री यज्ञनारायण, निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर, टोला हिरौल, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

3— राजेन्द्र तनय स्व0 श्री यज्ञनारायण, निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर, टोला हिरौल, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

अधि० श्री सतत कुमार मिश्रा द्वारा पेश 19.12.17

--------निगराकारगण / आवेदकगण

बनाम

कार्यालय अपर कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

1— वेवा गुलाबकली पत्नी स्व0 श्री रामानुज पाण्डेय, निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

2— कौशलेश पाण्डेय तनय स्व0 श्री रामानुज पाण्डेय, निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

3— कमलेश पाण्डेय तनय स्व0 श्री रामानुज पाण्डेय, निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

4— किरणेश पाण्डेय तनय स्व0 श्री रामानुज पाण्डेय, निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

5— रामाधार तनय स्व0 श्री लक्ष्मण प्रसाद पाण्डेय, निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

6— राजमणि तनय स्व0 श्री लक्ष्मण प्रसाद पाण्डेय, निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

7— वेवा इन्द्रवती पत्नी स्व0 श्री चतुरराम पाण्डेय, निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/6216

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	आवेदकगण के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना जा चुका है। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 441/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 8–12–2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि यज्ञनारायण एंव चतुरराम पाण्डे के 75 पैसे हक पर भूमि थी इनके हक की भूमियों के सर्वे नंबर 1203/2, 1204/2, 1205/2 बटांक कायम हुये थे किन्तु सहवन भूल से खसरा रोस्टर बनाते समय हलका पटवारी ने लक्ष्मण का कोई हक व हिस्सा न होते हुये भी लक्ष्मण प्रसाद के नाम इन सर्वे नंबरों में 25 पैसा हिस्सा लिख दिया। इसी की दुरूस्ती हेतु तहसीलदार के यहां धारा 115, 116 का आवेदन दिया था, जिसे तहसीलदार हुजूर ने आदेश दिनांक 9–8–11 से गलत इन्द्राज दुरूस्त करके पूर्व की स्थिति खसरे में कायम करने का आदेश दिये था , किन्तु अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने गलत अर्थ निकालकर बेरूम्याद अपील को स्वीकार करके भूमि पूर्व की स्थिति में गलत दर्ज कराई है और जब अनुविभागीय अधिकारी के गलत आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील की गई, अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 441/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 8–12–2017 से अपील को गुणदोष पर न सुनकर ग्राह्यता पर खारिज करने में भूल की है, इसलिये निगरानी में सुनवाई की जाकर तहसीलदार के आदेश को यथावत् रखने पर विचार करने का उन्होंने निवेदन किया।	

3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 8–12–2017 एंव आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर स्थिति यह है कि अपर आयुक्त व्दारा अपील प्रकरण को इस आधार पर निरस्त किया है :–

" अधीनस्थ न्यायालय व्दारा उपरोक्त विवादित आराजियों में अपीलार्थीगणों का नाम विलोपित करने के पूर्व उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करना चाहिये था, ऐसा न करने से अधीनस्थ न्यायालय व्दारा नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतों का भी पूर्णरूप से पालन नहीं किया गया हैं अधीनस्थ न्यायालय व्दारा मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर सहखातेदार लक्षिमन प्रसाद पिता रामदयाल का नाम खसरे से विलोपित कर दिया जो विधि अनुरूप प्रतीत नहीं होता। इसलिये अनुविभागीय अधिकारी ने विचारण न्यायालय व्दारा पारित आदेश निरस्त किया है । "

अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 8–12–2017 में स्पष्ट विवेचना कर निष्कर्ष दिया गया है जिसके कारण उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर के प्रकरण कमांक 130/15–15 अ–6–अ अपील में पारित आदेश दिनांक 25–11–17 को उचित होना मानकर अपील निरस्त की है। जहां तक आवेदकगण की पैत्रिक भूमि में अन्य का नाम अंकित हो जाने का प्रश्न है? आवेदकगण सक्षम न्यायालय में तदाशय का वाद दायर कर स्वयं् के स्वत्व की भूमि होना प्रमाणित कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 8–12–2017 एंव अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर के आदेश दिनांक 25–11–17 में निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोईऔचित्य नहीं है। विचाराधीन निगरानी आगे सुनवाई–योग्य न होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य